

भाग-III

मनियाछीना - भाटगाड़ मोटर मार्ग निर्माण - 04.00 किमी०

प्रस्ताव संख्या (13103/2015)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।                                                                                                        | हाँ, सहमत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।                                                                                        | जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी। |

दिनांक:- 26.06.2015

स्थान:- अल्मोड़ा।

  
(प्रेम कुमार)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा